भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

14/ 37/ 2016-डीजीएडी

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

******

दिनांक: 13 अक्टूबर, 2016

<u>जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना</u>

विषय : चीन जन. गण. और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रेसोरसिनोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

संख्या 14/ 37/ 2016-डीजीएडी: मै. अतुल लि. (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. और जापान (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रेसोरसिनोल (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और यत: प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्द्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की

सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

<u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

3. यह याचिका मै. अतुल लिमिटेड, जो भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र विनिर्माता है, ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने प्रमाणित किया है कि याचिकाकर्ता या उसके किसी संबंधित पक्ष द्वारा जॉच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने घोषणा की है कि वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक या किसी आयात से संबंधित नहीं हैं।

4. प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता संबंधित नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

<u>विचाराधीन उत्पाद</u>

5. वर्तमान जॉच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद 'रेसोरसिनोल' है। इसे रेसोरसिन मेटा-डिहाइरोक्सीबेंजीन 1, 3 डिहाइरोक्सीबेंजीन या 1, 3 बेंजेनेडिओल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक क्रिस्टलीय, सुगंधित, हाइग्रोस्कोपिक और सफेद ठोस उत्पाद है जो जल में घुलनशील और व्युत्पत्ति के काफी अनुकूल है।

6. संबद्ध वस्तु का प्रयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है जैसे इसका प्रयोग रबड़ उद्योग में रीइनफोर्सिंग सामग्री और रबड़ के बीच एधेशन प्रमोटर के रूप में, सौंदर्य प्रसाधनों में एंटिसेप्टिक एजेंट के रूप में, वुड एधेसिव रेजिंस में विशेषीकृत थर्मोसेटिंग किया जाता है, विभिन्न प्लास्टिक सामग्री में अनेक हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन प्रकार के अल्ट्रा वायलेट स्टेबलाइर्जस के लिए आरंभिक सामग्री आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि बाजार आसूचना के अनुसार रेसोरसिनोल की 60 प्रतिशतसे अधिक मांग टायरों सहित रबड़ उतपादों के लिए एधेसिव रेजिनों में की जाती है।

7. संबद्ध वस्तु को अध्याय शीर्ष 29072100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के आयात अन्य टैरिफ शीर्षों के अधीन भी किए जा रहे हैं। एचएस कोड केवल सांकेतिक है और उत्पाद का वर्णन सभी परिस्थितियों में लागू होगा।

समान वस्तु

8. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

> ***''समान वस्तु'' से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;***

9. याचिकाकर्ता ने बताया है कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु, समान वस्तु है। संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित रेसोरसिनोल भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते और कर रहे हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए।

10. अत: वर्तमान जॉच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

शामिल देश

11. वर्तमान जॉच चीन और जापान (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन से संबंधित है।

सामान्य मूल्य

12. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह बताते हुए कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है और भारत इस प्रयोजनार्थ सर्वाधिक उचित

तुलनीय बाजार है, कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करते हुए भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।

13. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर विचार करते हुए बिक्री, सामान्य और प्रशासनिकव्यय और तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके भारत में उत्पादन लागत के आधार पर जापान में सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया इस जॉच शुरूआत के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए परिकलित मूल्य के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

14. आवेदक ने भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए एक गौण स्रोत अर्थात मै. आलइंफो.कॉम से आयात आकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए कमीशन, समुद्री भाड़े, पत्तन व्यय, अंतरर्देशीय भाड़े, समुद्री बीमा और बैंक प्रभार और वैट समायोजन (जहां लागू हों) में कीमत संबंधी समायोजनों का दावा किया गया है।

<u>पाटन मार्जिन</u>

15. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है, जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार अनुमानित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।

<u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

16. यत: प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी एतद्द्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव

का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

<u>जांच अवधि (पीओआई)</u>

17. याचिकाकर्ताओं ने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 (12 महीनों) की जॉच अवधि का प्रस्ताव किया है। तथापि क्षति के विश्लेषण के लिए पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात अप्रैल 12 से मार्च 13, अप्रैल 13 से मार्च 14, अप्रैल 14 से मार्च 15 और जॉच की प्रस्तावित अवधि के आकड़ों पर विचार किया गया है।

<u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

18. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

<u>समय-सीमा</u>

20. वर्तमान जॉच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

<u>अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

22. यदि प्रश्नावली के उत्तर/ अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में" गोपनीयता "का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक , सूची ,पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या "अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।

23. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पॉच (5)प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

24. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/ या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

28. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

<u>असहयोग</u>

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(ए. के. भल्ला)
अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी